

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2281

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2014/ श्रावण 8, 1936

No. 228]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2014/SRAVANA 8, 1936

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए) अधिसूचना

गोवा, २४ जून, २०१४

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2014

सं. जेईआरसी-17/2014.—संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (जेडपी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, तथा पिछले प्रकाशन के बाद इससे प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2014 नामक निम्नलिखित विनियम बनाता है।

<u>अध्याय I: सामान्य</u>

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभण

- 1.1 इन विनियमों को "गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग" (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2014 के लिए कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुड्डुचेरी संघ शासित क्षेत्रों में आपूर्ति के उनके संबंधित क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- 2.1 इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो -
- i. 'अधिनियम' का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;
- ंबेसलाइन आंकड़ों' का अर्थ कार्यक्रम प्रभाव का आकलन करने के लिए तुलनात्मक प्रारंभिक बिंदु
 उपलब्ध कराने हेतु डीएसएम कार्यक्रम से पूर्व बिजली की प्रारंभिक आधार स्तर खपत और/या मांग
 से है;

3039 GI/2014 (1)

- iii. 'ब्यूरो' या 'बीईई' का अर्थ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 2 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरों से है;
- iv. 'आयोग' का अर्थ अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग से है।
- v. 'लागत प्रभावी सूचकांक' का अर्थ डीएसएम कार्यक्रम में किसी निवेश के आकर्षक बनने के सूचक से है;
- vi. 'मांग पक्ष प्रबंधन या डीएसएम' का अर्थ उपभोक्ता के मीटर के बाद वितरण लाइसेंसधारी की कार्रवाई से है जिसका उद्देश्य बिजली के अंतिम प्रयोग को बदलना है चाहे इसे घटाना हो, या उसे शीर्ष और निम्न शीर्ष अविधयों के बीच बदलना हो, या रूक-रूक कर लोड मांग वितरण लाइसेंसधारी की लागत को घटाने के समग्र हित में हो।
- vii. "डीएसएम संसाधन अर्जन" का अर्थ परिणामी ऊर्जा और लोड की कमी के लिए ग्राहकों, ऊर्जा सेवा कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए डीएसएम परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की प्रणाली से है।
- viii. "ऊर्जा सेवा कंपनी" का अर्थ उस कंपनी से है जो ऊर्जा दक्षता और लोड प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराने और/या अंतिम प्रयोक्ता उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में हो और ब्यूरो द्वारा अनुमोदित हो।
- ix. "मूल्यांकन, मापन और सत्यापन" का अर्थ उन विकल्पों से है जो डीएसएम/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों या उनके बाजार वातावरण के अन्य पहलुओं का मूल्यांकन, मापन और सत्यापन करता है।
- x. "निगरानी और रिपोर्टिंग" का अर्थ उन कार्यकलापों से है जो वितरण लाइसेंसधारी के डीएसएम/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।
- 1.1 "बहुवर्षीय प्रशुल्क विनियम" या "एमवाईटी विनियम" का अर्थ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय प्रशुल्क विनियम), 2014 से है।

अध्याय II: डीएसएम के उद्देश्य, लक्ष्य और दिशानिर्देश

3. डीएसएम उद्देश्य

- 3.1 इनका उद्देश्य वियुत अभाव का शमन करना, अत्यधिक मांग वाले मौसम में कमी करना, कम-लागत ऊर्जा बचत करना, बिजली की लागत को कम करना, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना तथा अन्य कोई उद्देश्य, जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है। लाइसेंसधारियों द्वारा इन पर गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में लागत प्रभावी डीएसएम प्रयासों के उन्नयन तथा कार्यान्वयन पर विचार किया जाएगा।
- 3.2 कोई नया डीएसएम लक्ष्य निर्धारित करते समय आयोग बीईई द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय डीएसएम लक्ष्यों/योजनाओं, यदि कोई हो, पर विचार कर सकता है।

4. डीएसएम के लिए तकनीकी संभाव्यता का आकलन

- 4.1 गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारी अपने संबंधित क्षेत्र में प्रत्येक बहुवर्षीय प्रशुल्क नियंत्रण अविध के प्रारंभ होने से एक वर्ष पूर्व डीएसएम के लिए संभाव्यता आकलन कराएगा। उपर्युक्त प्रावधानों में किसी बात के होते हुए डीएसएम के लिए तकनीकी संभाव्यता का प्रथम आकलन इन विनियमों की अधिसूचना के छः माह के अंदर कराया जाएगा।
- 4.2 वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम के लिए तकनीकी संभाव्यता का आकलन करते समय ब्यूरो या बीईई द्वारा विकसित पद्धति द्वारा निर्देशित होगा।

डीएसएम लक्ष्य

5.1 वितरण लाइसेंसधारी आयोग को आपूर्ति के अपने संबंधित क्षेत्र में उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले डीएसएम लक्ष्यों का प्रस्ताव करेगा।

- 5.2 वितरण लाइसेंसधारी के लिए डीएसएम लक्ष्य को अनुमोदित करते समय आयोग उपभोक्ता मिश्रण, लोड रूपरेखा आदि जैसे तथ्यों को उचित महत्व देगा।
- 5.3 डीएसएम लक्ष्यों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
 - i. लोड वृद्धि में प्रतिशत कमी;
 - ii. किलोवाट, किलोवाट घंटा में बचत;
 - iii. लोड को पूराकरने के लिए कुल संसाधनों के प्रतिशत के रूप में बचत;
 - iv. दैनिक लोड कर्व तथा मौसम की खपत का जायजा लेना।
- 5.4 लक्ष्यों को अनुमोदित करते समय, आयोग, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आकलन के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र में तकनीकी संभाव्यता पर विचार करेगा।

डीएसएम प्रक्रिया पर दिशानिर्देश

- 6.1 आयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के निष्पादन में वितरण लाइसेंसधारी का मार्गदर्शन करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है:
 - i. लोड और बाजार अनुसंधान;
 - ii. डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:
 - iii. डीएसएम कार्यक्रमों का लागत प्रभावी आकलन;
 - iv. डीएसएम योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग;
 - v. डीएसएम कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड;
 - vi. डीएसएम लक्ष्यों तथा वित्त-पोषण स्तर निधारित करने की पद्धति;
 - vii. डॉटाबेस विकास 🏻 iचा।
- 6.2 ऐसे जारी दिशानिर्देश वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पहली डीएसएम योजना को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए कोई पूर्वापेक्षा नहीं होने चाहिए।

अध्याय III: डीएसएम प्रकोष्ठ

7. डीएसएम प्रकोष्ठ का गठन, इसकी भूमिका और उत्तरदायित्व

- 7.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के अंदर डीएसएम प्रकोष्ठ का गठन करेगा।
- 7.2 इस प्रकार गठित डीएसएम प्रकोष्ठ को आवश्यक प्राधिकार और संसाधन उपलबध कराए जाने चाहिएं ताकि इन विनियमों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों को निष्पादित किया जा सके।
- 7.3 डीएसएम प्रकोष्ठ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:
 - i. बेसलाइन आंकड़ों का लोड अनुसंधान और विकास;
 - ii. डीएसएम योजना का निरूपण;
 - iii. डीएसएम परियोजनाओं का डिजाइन और विकास जिसमें लागत लाभ विश्लेषण, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा माप और सत्यापन के लिए योजनाएं:
 - iv. डीएसएम योजना और व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अन्मोदन प्राप्त करना;
 - v. डीएसएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा इसकी आवधिक निगरानी और रिपोर्टिंग;
 - vi. अन्य कोई कार्य जो आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए।

<u>अध्याय IV: डीएसएम प्रक्रिया</u>

8. लोड और बाजार अनुसंधान तथा बेसलाइन आंकड़ों का विकास

- 8.1 वितरण लाइसेंसधारी लक्षित उपभोक्ता खंड/खंडों और डीएसएम कार्यक्रमों के लिए अंतिम प्रयोक्ताओं का पता लगाने हेतु लोड अनुसंधान करेगा ताकि आवश्यक डॉटाबेस बनाया जा सके।
- 8.2 वितरण लाइसेंसधारी विशिष्ट ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के लिए बाजार संभाव्यता का पता लगाने, प्रमुख निष्पादन संकेतकों की स्थापना करने तथा मौजूदा बेसलाइन बाजार स्थितियों का पता लगाने के लिए बाजार अनुसंधान करेगा।

- 8.3 लोड और बाजार अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति के अपने क्षेत्र के लिए बेसलाइन आंकड़े विकसित करेगा।
- 8.4 वितरण लाइसेंसधारी बीईई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और पूरे किए गए अध्ययनों के आधार पर कुछेक प्रारंभिक डीएसएम कार्यक्रमों का डिजाइन बनाएगा, विकास और कार्यान्वित करेगा, जब तक कि, आपूर्ति के उसके क्षेत्र के लिए पूर्ण बेसलाइन आंकड़े उपलब्ध न हो जाएं और बेसलाइन आंकड़ों की स्थापना वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे प्रारंभिक डीएसएम कार्यक्रमों के डिजाइन के लिए कोई पूर्वापेक्षा नहीं होनी चाहिए।

9. डीएसएम योजना बनाना

- 9.1 वितरण लाइसेंसधारी एक भावी डीएसएम योजना बनाएगा तथा उसे आयोग को प्रस्तुत करेगा, जिसमें इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के अंदर नियंत्रण अविध की संपूर्ण अविध शामिल होगी। योजना में निम्नलिखित शामिल होगा:

 - ii. डीएसएम योजना का भाग बनाने के लिए डीएसएम कार्यक्रमों का विवरण;
 - iii. कार्यान्वयन प्रक्रिया और योजना में समग्र रूप में प्रत्येक कार्यक्रम की अनुसूची;
 - iv. निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए योजना;
 - v. कार्यक्रमों का सांकेतिक लागत प्रभावकारिता आकलन।

उपर्युक्त में किसी बात के होते हुए प्रथम डीएसएम योजना इन विनियमों की तारीख से एक वर्ष के अंदर तैयार की जाएगी तथा यह चालू एमवाईटी नियंत्रण अविध के अंत तक की अविध के लिए होगी।

- 9.2 वितरण लाइसेंसधारी ब्यूरो द्वारा अपनी भावी योजना में विकसित सभी संगत डीएसएम कार्यक्रमों (बहु-राज्य कार्यक्रमों सिहत) को शामिल करेगा जब कभी ऐसे कार्यक्रमों की ब्यूरो द्वारा घोषणा की जाएगी।
- 9.3 वितरण लाइसेंसधारी रोलिंग आधार पर वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा जो वार्षिक निष्पादन समीक्षा सहित आगामी वर्ष के लिए भावी योजना से असंगत नहीं होगा।
- 9.4 डीएसएम योजना में विभिन्न डीएसएम कार्यक्रमों के चयन तथा प्राथमिकता निम्नलिखित तथ्यों द्वारा निर्देशित होगी:
 - प्रस्तावित डीएसएम योजना की लागत प्रभावकारिता;
 - ii. विनियम 3 में चयनित डीएसएम उद्देश्य;
 - iii. क्या प्रस्तावित कार्यक्रम ब्यूरो द्वारा अपनाए गए राष्ट्र स्तरीय प्रयासों की पूर्ति करते हैं;
 - iv. उच्च दृश्यता वाले कार्यक्रम जिसमें उपभोक्ताओं में जागरूकता सृजन करने की क्षमता हो।

10. आयोग समीक्षा और डीएसएम योजना का अनुमोदन

- 10.1 वितरण लाइसेंसधारी अगली एमवाईटी अविध के शुरू होने की तारीख से पहले, कम से कम तीन महीनों में अनुमोदन हेत् आयोग को डीएसएम योजना प्रस्तुत करेगा।
- 10.2 आयोग डीएसएम योजना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए व्यवसाय विनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपना सकता है।

11. डीएसएम कार्यक्रम दस्तावेज तैयार करना

- 11.1 डीएसएम योजना में शामिल प्रत्येक डीएसएम कार्यक्रम के एक पृथक कार्यक्रम दस्तावेज में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। विवरण में सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी, नियुक्ति के लिए अनुसूची, बजट, लागत प्रभावी आकलन, विस्तृत कार्यान्वयन योजना तथा बचत अनुमान आदि शामिल है।
- 11.2 प्रत्येक डीएसएम कार्यक्रम के लिए लागत लाभ विश्लेषण वितरण लाइसेंसधारी द्वारा कराया जाना चाहिए।

12. डीएसएम कार्यक्रम दस्तावेज का अनुमोदन

- 12.1 कोई डीएसएम कार्यक्रम कार्यान्वित करने से पहले वितरण लाइसेंसधारी को आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 12.2 प्रत्येक कार्यक्रम दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल होगा:
 - i. कार्यक्रम का विवरण:
 - ii. कार्यक्रम के उद्देश्य और तर्कसंगतता;
 - iii. उपभोक्ता खंड तथा भागीदारी का अनुमानित स्तर;
 - iv. बेसलाइन मापदंडों का अनुमान;
 - v. आयोग द्वारा जारी लागत प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम का आकलन;
 - vi. लागत की वसूली के लिए प्रणाली तथा निष्पादन प्रोत्साहन;
 - vii. विपणन, सुपुर्दगी कार्यनीति और कार्यान्वयन अनुसूची;
 - viii. कार्यान्वयन प्रणाली उदाहरण के लिए ऊर्जा सेवा कंपनियां, डीएसएम बोली, डीएसएम संसाधन अर्जन:
 - ix. निगरानी और मूल्यांकन योजना;
 - x. उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के लिए योजना।
- 12.3 आयोग डीएसएम कार्यक्रम को तभी अनुमोदित करेगा यदि यह विनियमों की धारा 3 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो। आयोग डीएसएम उद्देश्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित और चल रहे कार्यक्रमों में आशोधन का निर्देश दे सकता है। तथापि, आयोग वितरण लाइसेंसधारी को कार्यक्रम आशोधन के उपभोक्ताओं को अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त समय दे सकता है।

13. डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

- 13.1 वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू करेगा।
- 13.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन आयोग द्वारा अनुमोदन अनुसार 🛭 ग से किया जाएगा।
- 13.3 वितरण लाइसेंसधारी शीघ्र लाभ वाले डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू करेगा।
- 13.4 वितरण लाइसेंसधारी उसे सौंपे गए कार्यकलापों का स्वयं या किसी उपयुक्त स्वतंत्र कंपनी को नियुक्त करके कार्यान्वयन कराएगा।
 - ऐसा करते समय वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए तथा उपभोक्ताओं के हितों के साथ समझौता न किया जाए।

14. लागत वसूली की प्रणाली

- 14.1 वितरण लाइसेंसधारी योजना, डिजाइन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबद्घ निवल वृद्धिशील लागत, यदि कोई हो, का पता लगाएगा।
- 14.2 वितरण लाइसेंसधारी प्रशुल्क परिवर्तन या अन्य किसी प्रणाली के जरिए निवल वृद्धिशील लागत की वसूली के लिए पद्धति का प्रस्ताव कर सकता है।
- 14.3 लागत वसूली की योग्यता के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में निम्नलिखित होना चाहिए
 - i. कार्यान्वयन से पूर्व अनुमोदन;
 - ii. अनुमोदित कार्यक्रम योजना के अनुसार कार्यान्वित; और
 - iii. लागत का प्रभावी 🛮 ंग से कार्यान्वयन।
- 14.4 वितरण लाइसेंसधारी आयोग को या आयोग द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षकार को उसके द्वारा कार्यान्वित डीएसएम कार्यक्रमों के मूल्यांकन माप और सत्यापन हेत् सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।
- 14.5 आयोग वितरण लाइसेंसधारी को डीएसएम कार्यक्रम शुरू करने का निदेश दे सकता है जो लागत प्रभावी नहीं होगा लेकिन समाज के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। आयोग ऐसी परियोजना के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा।

15. डीएसएम कार्यक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग

15.1 वितरण लाइसेंसधारी योजना तैयार करेगा तथा आयोग द्वारा जारी निगरानी और रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशों या डीएसएम कार्यक्रम अनुमोदन करते समय आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार डीएसएम कार्यक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग प्रगति करेगा।

16. डीएसएम कार्यक्रम का मूल्यांकन माप तथा सत्यापन

- 16.1 वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम कार्यक्रमों से बचत का मूल्यांकन, माप और सत्यापन करने के लिए योजना तैयार करेगा।
- 16.2 आयोग द्वारा या लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षकार द्वारा डीएसएम कार्यक्रमों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन माप और सत्यापन किया जाएगा। एजेंसी को नियुक्त करते समय लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी अन्य कोई कार्य नहीं कर रही है जिसके राज्य में उपभोक्ताओं के हितों के साथ मतभेद हो सकते हैं।
- 16.3 वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम कार्यक्रमों से बचत को मापने और सत्यापन करने के लिए आयोग को या आयोग द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षकार को आवश्यक सूचना/आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

अध्याय V: डीएसएम योजना तथा कार्यक्रम समापन रिपोर्ट

- 17. डीएसएम योजना की प्रगति पर रिपोर्टें तथा डीएसएम योजना के कार्यान्वयन पर किए गए खर्च को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक छ: माह तक प्रस्तुत किया जाएगा।
 - 17.1. वितरण लाइसेंसधारी एक विस्तृत कार्यक्रम पूर्ण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेगी और उसे ऐसे कार्यक्रम के पूरा होने के एक माह के अंदर आयोग को प्रस्तुत करेगी।
 - 17.2. रिपोर्ट में कार्यक्रम व्यय, उपलबधियां, निष्कर्ष और आदान, बाधाएं और सामना की गई कठिनाइयां, निष्कर्ष, सिफारिशें, सीखे गए सबक और भावी दिशाएं शामिल होती हैं।

<u>अध्याय VI: प्रोत्साहन</u>

18. आयोग विनियमों की धारा 3 में दिए गए अनुसार डीएसएम उद्देश्यों को प्राप्त करने या विस्तार करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी को प्रोत्साहन देगा।

<u>अध्याय VII: विविध</u>

- 19. आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधान में कुछ जोड़ना, बदलना, सुधारना आशोधन या संशोधन कर सकता है।
 - 19.1 यदि इन विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं।
 - 19.2. आयोग अनुपालन किए जाने वाले विनियमों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी कर सकता है और निर्देशों का पालन कर सकता है।
 - 19.3. इन विनियमों से उत्पन्न सभी विवादों पर निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर आधारित होगा।

अनीश गर्ग, निदेशक, जेईआरसी [विज्ञापन III / 4 / असा. / 218—आई / 14]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)
NOTIFICATION

Goa, the 24th June, 2014

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Demand Side Management) Regulations, 2014

No. JERC-17/2014.—Joint Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by clause (zp) of Sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following regulations namely Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Demand Side Management) Regulations, 2014.

Chapter I: General

1. Short Title, extent and Commencement

- 1.1. These Regulations may be called the "Joint Electricity Regulatory Commission For the State of Goa and Union Territories (Demand Side Management) Regulations, 2014".
- 1.2. These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensees in the State of Goa and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Puducherry in their respective areas of supply.
- 1.3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**

- 2.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires
 - i. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - ii. "Baseline data" means the initial base level consumption and/or demand for electricity before a DSM programme begins to provide a starting point for comparison for assessing programme impact;
 - iii. "Bureau" or "BEE" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of Section 2 of The Energy Conservation Act, 2001;
 - iv. "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission constituted under Section 83 of the Act;
 - v. "Cost Effectiveness Index" means an indicator of the attractiveness of any investment in DSM programme;
 - vi. "Demand Side Management or DSM" means the actions of a Distribution Licensee, beyond the consumer's meter, with the objective of altering the end-use of electricity whether it is to decrease it, or to shift it between high and low peak periods, or manage it when there are intermittent load demands in the overall interests of reducing Distribution Licensee costs.
 - vii. "DSM Resource Acquisition" means a mechanism to implement DSM projects through customers, Energy Service Companies and Non-Government Organizations for the resultant energy and load reductions.
- viii. "Energy Services Company" means a company which is in the business of providing energy efficient and load management equipment and/or services to end-user consumers and is approved by Bureau.
 - ix. "Evaluation, Measurement and Verification" means activities which evaluate, measure and verify performance or other aspects of DSM/energy efficiency programs or their market environment.
 - x. "Monitoring and Reporting" means activities which monitor and evaluate the progress of DSM/energy efficiency programs of the Distribution Licensee.
- 1.1. "Multi Year Tariff Regulations" or "MYT Regulations" means the Joint Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff Regulations), 2014.

Chapter II: DSM Objectives, targets and guidelines

3. DSM Objectives

- 3.1. The objectives are power shortage mitigation, seasonal peak reduction, cost effective energy savings, lowering the cost of electricity, reduction in emissions of greenhouse gases and any other objective, which may be stipulated by the Commission from time-to-time. These shall be considered by the Licensees in the advancement and implementation of cost effective DSM initiatives in the State of Goa and the Union Territories.
- 3.2. While formulating any new DSM Objectives, the Commission may take into consideration the National DSM Objectives/ Plans formulated by BEE, if any.

4. Assessment of technical potential for DSM

4.1. The Distribution Licensee in the State of Goa and Union Territories shall carry out assessment of potential for DSM in their respective area one year before the start of every Multi-Year-Tariff Control Period. Notwithstanding any of the above provisions & the first assessment of technical potential for DSM shall be carried out within six months of the notification of these Regulations.

4.2. Distribution Licensee shall be guided by methodology developed by Bureau or BEE while assessing the technical potential for DSM.

5. DSM Targets

- 5.1. The Distribution Licensee shall propose to the Commission, the DSM targets to be achieved by them in their respective area of supply.
- 5.2. While approving DSM target for the Distribution Licensee, the Commission will give due consideration to factors such as consumer mix, load profile etc.
- 5.3. Examples of DSM targets may include the following:
 - i. Percentage reductions in load growth;
 - ii. Savings in KW, kWh;
 - iii. Savings as a percent of total resources to meet load;
 - iv. Flattening of load curve-daily as well as seasonal.
- 5.4. While approving the targets, the Commission will consider the technical potential in the State/UT as assessed by the Distribution Licensee.

6. Guidelines on DSM process

- 6.1. The Commission may issue guidelines from time-to-time to guide the Distribution Licensee in execution of the following activities:
 - i. Load and market research.
 - ii. Implementation of DSM programmes;
 - iii. Cost Effectiveness Assessment of DSM programmes;
 - iv. Monitoring and Reporting of DSM Plans and programmes;
 - v. Eligibility criteria for DSM programmes;
 - vi. Methodology for setting DSM targets and funding levels;
 - vii. Database development framework.
- 6.2. Issuance of such guidelines shall not be a pre-requisite for preparation and submission of the first DSM plan by the Distribution Licensee.

Chapter III: DSM Cell

7. Constitution of DSM Cell, its role & responsibilities

- 7.1. Every Distribution Licensee shall, constitute DSM Cell within one month of notification of these regulations.
- 7.2. The DSM Cell so constituted shall be provided with necessary authority and resources so as to execute the functions assigned to it under these Regulations.
- 7.3. The DSM Cell shall be responsible for:
 - i. Load research and development of baseline data;
 - ii. Formulation of DSM Plan:
 - iii. Design and development of DSM projects including cost benefit analysis, plans for implementation, monitoring & reporting and for measurement & verification;
 - iv. Seeking necessary approvals to DSM Plan and individual programmes;
 - v. Implementation of DSM programmes and its periodic monitoring & reporting;
 - vi. Any other function that may be assigned by the Commission from time-to-time.

Chapter IV: DSM Process

8. Load and market research and development of baseline data

- 8.1. Distribution Licensee shall undertake load research to identify the target consumer segment/s and end uses for DSM programmes to build the necessary database.
- 8.2. Distribution Licensee shall undertake market research to estimate market potential for specific energy efficiency technologies and applications, establish key performance indicators and determine existing baseline market conditions.
- 8.3. On the basis of the results of load and market research, the Distribution Licensee shall develop baseline data for its area of supply.
- 8.4. Distribution Licensee shall design, develop and implement the initial few DSM programmes on the basis of available data and studies completed by BEE till the complete baseline data is available for its area of supply and establishment of base line data shall not be a pre-requisite for design of such initial DSM programmes by the Distribution Licensee.

9. Formulation of DSM Plan

- 9.1. Distribution Licensee shall formulate and submit to the Commission a perspective DSM Plan covering entire period of the control period, within one year of notification of these regulations. The Plan shall include:
 - i. An overall goal for DSM Plan;

- ii. Description of DSM programmes to form a part of DSM Plan;
- iii. Implementation process and schedule of each programme in the plan as a whole;
- iv. Plan for Monitoring and Reporting;
- v. Indicative cost effectiveness assessment of programmes.

Notwithstanding anything above, the first DSM Plan shall be prepared within one year of the date of these Regulations and shall be for the period till the end of ongoing MYT Control Period.

- 9.2. The Distribution Licensee shall include all relevant DSM programmes (including multi-state programmes) developed by Bureau in its perspective plan as and when such programmes are announced by Bureau.
- 9.3. The Distribution Licensee shall submit on rolling basis, an annual plan, not inconsistent with the perspective plan, for upcoming year, along with the Annual Performance Review.
- 9.4. Selection and prioritisation of various DSM programmes in the DSM Plan shall be guided by the following factors:
 - i. The Cost effectiveness of the proposed DSM scheme;
 - ii. DSM Objectives identified in Regulation 3;
 - iii. Whether the proposed programmes supplement National level efforts adopted by the Bureau;
 - v. Programmes with high visibility and therefore, potential for creation of awareness within consumers.

10. Commission review and approval of DSM plan

- 10.1. Distribution Licensee shall submit the DSM Plan to the Commission for approval at least three months before the start date of the next MYT period.
- 10.2. The Commission may adopt procedures as specified in the Conduct of Business Regulations for according approval to the DSM Plan.

11. Preparation of DSM Programme Document

- 11.1. For each DSM programme included in the DSM Plan, a detailed description shall be provided in a separate Programme Document. The description shall include general information, technology, schedule for deployment, budget, cost effectiveness assessment, detailed implementation plan and estimation of savings etc.
- 11.2. For each DSM programme cost benefit analysis shall be carried out by the Distribution Licensee.

12. Approval of DSM Programme Document

- 12.1. Prior to implementing any DSM programme, Distribution Licensee must obtain approval of the Commission.
- 12.2. Each Programme Document shall include the following:
 - i. Description of the programme;
 - ii. Objectives and rationale for the programme;
 - iii. Consumer segments and estimated level of participation;
 - iv. Estimate of baseline parameters;
 - v. Assessment of programme in line with Cost Effectiveness Guidelines issued by the Commission;
 - vi. Mechanism for recovery of cost and performance incentives;
 - vii. Marketing, delivery strategy and Implementation schedule;
 - viii. Implementation mechanism e.g. Energy Service Companies, DSM Bidding, DSM Resource Acquisition, etc.
 - ix. Monitoring and evaluation plan;
 - x. Plan for Training/Seminars/Workshops for increasing consumer awareness.
- 12.3. The Commission will approve a DSM program if it is in line with the Objectives set out in Section 3 of the Regulations. The Commission may direct modifications to proposed or on-going programmes to ensure consistency with the DSM Objectives. However, the Commission shall allow Distribution Licensee adequate time to notify consumers of program modification.

13. Implementation of DSM programmes

- 13.1. Distribution Licensee shall undertake implementation of DSM programmes in line with the guidelines issued by the Commission from time to time.
- 13.2. The implementation of the programme shall be undertaken in the manner as approved by the Commission.
- 13.3. Distribution Licensee shall undertake implementation of quick gain DSM programmes.
- 13.4. Distribution Licensee shall carry out implementation of activities assigned to it either by itself or through engagement of appropriate independent entity.
 - While doing so, the Distribution Licensee shall ensure that continuity and consistency is maintained and interest of the consumers is not compromised.

14. Mechanism for Cost Recovery

14.1. Distribution Licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with planning, design and implementation of programmes.

- 14.2. Distribution Licensee may propose methodology for recovery of net incremental costs through tariff change or any other mechanism.
- 14.3. In order to qualify for cost recovery, each program must be
 - i. Approved prior to implementation;
 - ii. Implemented in accordance with the approved program plan; and
 - iii. Implemented cost effectively.
- 14.4. Distribution Licensee shall provide all necessary assistance to the Commission, or third party assigned by the Commission in undertaking Evaluation Measurement and Verification of DSM programmes implemented by it.
- 14.5. The Commission may direct the Distribution Licensee to undertake DSM programmes that may not be cost effective but is highly beneficial to the society. The Commission will make available resources for such project.

15. Monitoring and reporting of DSM Programmes

15.1. Distribution Licensee shall prepare plan and undertake monitoring and reporting progress of DSM programmes as per Guidelines on Monitoring and Reporting issued by Commission from time to time or as approved by the Commission while approving the DSM programme.

16. Evaluation Measurement and Verification of DSM Programme

- 16.1. Distribution Licensee shall prepare plan for evaluation, measurement and verification of savings from DSM programmes.
- 16.2. Third party Evaluation Measurement and Verification of DSM programmes may be undertaken by the Commission or third party assigned by the Licensee.
 - While engaging the agency, the Licensee shall ensure that the Agency is not undertaking any other engagement which could conflict with the interests of the consumers in the State.
- 16.3. Distribution Licensee shall make available necessary information/data to the Commission or third party assigned by the Commission to measure and verify the savings from DSM programmes.

Chapter V: DSM Plan and Programme Completion Report

- 17. Reports on progress of DSM Plan and expenses incurred on implementation of DSM Plan shall be submitted by the Distribution Licensee every six months.
 - 17.1 The Distribution Licensee will prepare and submit a detailed Program Completion Report and submit the same to the Commission within one month of completion of such programme.
 - 17.2 The Report shall cover the programme expenses, achievements, outcomes and outputs, constraints and difficulties faced, conclusions, recommendations, lessons learned and way forward.

Chapter VI: Incentives

18. The Commission may provide incentives to the Distribution Licensees for achieving or exceeding the DSM Objectives as identified in Section 3 of the Regulations.

Chapter VII: Miscellaneous

- 19. The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.
 - 19.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.
 - 19.2 The Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the regulations and procedures to be followed.
 - 19.3 All disputes arising under these regulations shall be decided by the Commission based on an application made by the person aggrieved.

ANISH GARG, Director, JERC [ADVT. III/4/Exty./218-I/14]